तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामधन व अन्य बनाम लादू व अन्य(2019/00027) अपी.अभि. श्री दिनेश कुमार रेस्पो.अभि. श्री शोकिन्द लाल गुर्जर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2020	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के अभिभाषकगण उपस्थित । अपीलांट अभिभाषक द्वारा दिनांक 9.12.2019 को ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस करने हेतु निवेदन किया गया। रेस्पोडेण्ड अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 द्वारा जवाब पेश किया गया । अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट अभिभाषकों की प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट (प्रस्तुतकर्ता) ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 13.08.2019 को प्रस्तुत कर दी गयी थी। दिनांक 20.11.2019 को अपील की सुनवाई हुई इससे पूर्व पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त था सुनवाई के दौराने जानकारी में आया कि अपील में लिपिकिय त्रुटि के कारण पैरा संख्या 01 में अीलार्थी के पिता केसरा का भाई देवा पुत्र पॉच्या की मृत्यु बाबत् गलत अंकन हो गया है जब कि अपीलार्थी के पिता केसरा का भाई देवा पुत्र पॉच्या आज दिनांक तक जीवित है। इसी प्रकार अपील के अुनतोष की चौथी पंक्ति में नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 17.02.2005 यथावत् रखा जावें एवं तहसीलदार, निवाई का आदेश दिनांक 01.08.2019 को निरस्त करने हेतु उक्त अपील के अनुतोष मे जोडा जावें। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 13.08.2019 को प्रस्तुत की गई एवं अपील दर्ज कर वास्ते केवियटकर्ता की सुनवाई बाबत् दिनांक 20.11.2019 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया किया गया दिनांक 01.08.2019 को निरस्त करने हेतु को अपील के अनुतोष में जोड़ा जावें, किन्तु अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 13.08.2019 को प्रस्तुत की गई है इसलिए दिनांक 01.08.2019 के आदेश का अनुतोष अपील के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष 2006 आर.आर.टी.(1)पेज 181,2003 आर.आर.टी.(1)पेज 585, 2017 डी.एन.जे.(1) पेज 1 एच.सी. का न्यायिक दृष्टांत पेश कियें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से सहमत है कि मूल दावा व संशोधित तात्विक विराधाभाष–वादी की सुविधा से विरोधभाषी तथ्यों को बदला नहीं जा सकता। अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 13.08.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी0पी.सी में चाहा गया अनुतोष अपील में सम्मिलित किया जा सकता था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की परिप्रेक्ष्य में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर संधारनीय नहीं है। अतः अपीलान्ट अभिभाषक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2019 की पालना दिनांक 01.08.2019 को हो चुकी है जिसकी पुष्टी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी0पी.सी द्वारा होती है । चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र संधारनीय नहीं होने पर खारिज किया जाने के कारण मूल अपील सारहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.30 12:17:21 IST
Reason: SelfAttested